उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 1451 / मा0स0(04) / उ0नि0लि0 / 2023–3(11) / मा0स0(04) / 2017(Vol-II) दिनांक: 18.09.2023

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.22 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या : 1877 / 79–रिट–1–2020 –2(क)20–2020 दिनाँक 21.10.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 जिसे वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 1 / 2021 / सा–3–116 / दस–2020–933 / 89, दिनाँक: 01 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत किया गया है, को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1451 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2023 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / तकनीकी / वित्त / परियोजना एव वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर / निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), मा0सं0 / पर्यावरण एवं सुरक्षा / ईंधन / जानपद–नव परियोजनायें / तापीय परिचालन / नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण / वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), न्यू कोल ब्लाक / प्रगति / पी0पी0एम0एम0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.22 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / (रिफार्म) / (टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य) / (प्रशिक्षण) / (तापीय परिचालन) / (जानपद) / (औ0सं0) / (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक / उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
11. कट् फाइल।

आज्ञा से,

18/9/23

(तरूण कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

अनुलग्नक - 1

संख्या-1/2021/सा-3-116/दस-2020-933/89

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2021

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

विषय पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 ।

महोदय,

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा को परिभाषित करते हुये विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1877/79-वि-1-2020-2(क)20-2020 दिनांक 21-10-2020 द्वारा 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020' प्रख्यापित किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

2- उपरोक्त अध्यादेश की धारा 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि अर्हकारी सेवा का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के अनुसार किसी अस्थाई या स्थाई पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गयी सेवाओं से है। धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी उ0प्र0 रिटायरमेण्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उप नियम (8) के संबंध में और उसके अधीन की गयी कार्यवाही उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत दिनांक 01-04-1961 से विधिमान्यकृत समझी जायेगी। अध्यादेश के उपबंध दिनांक 01 अप्रैल, 1961 से प्रभावी किये गये हैं ।

3- पूर्ववर्ती वर्षों में कतिपय विभागों में एक बड़ी संख्या में तदर्थ, कार्य प्रभारित एवं सीजनल आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुयी है। ऐसे कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा विधिवत विनियमित कर दिये जाने की तिथि से उनकी नियमित सेवा प्रारम्भ होती है एवं तदनुसार अर्हकारी सेवा का आगणन विनियमितीकरण की तिथि से करते हुये सेवानैवृतिक लाभ अनुमन्य किये जाते है। पिछले कुछ समय से ऐसे संबंधित कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालयों में इस आशय के वाद योजित किये जा रहे है कि विनियमितीकरण के पूर्व की उनकी तदर्थ/कार्य प्रभारित/सीजनल सेवाओं को जोड़ते हुये सेवानैवृतिक लाभ अनुमन्य किये जायें। अतः, यह नितान्त आवश्यक है कि ऐसे समस्त वादों में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रों में उपरोक्त अध्यादेश की व्यवस्था मा0 न्यायालयों के समक्ष स्पष्ट रूप से रखी जाये ।

Scanned with CamScanner

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सभी विधिक वादों में 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अभ्यावेदन सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020' को राज्य सरकार की ओर से प्रतिवाद किये जाने हेतु प्रमुख आधार बनाया जाय। ऐसे प्रकरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र बिना उक्त अध्यादेश का उल्लेख किये दाखिल कर दिये गये हैं, उनमें उक्त अध्यादेश की व्यवस्था का उल्लेख करते हुये पूरक प्रतिशपथ पत्र तत्काल दाखिल किये जायें। ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य सरकार की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में उक्त अध्यादेश की व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया था, और मा० न्यायालयों द्वारा राज्य सरकार के नियमों में प्रतिकूल आदेश पारित किये गये हैं, उनमें यथास्थिति पुनर्विचार याचिका, विशेष अपील, विशेष अनुज्ञा याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करायी जाये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(एस0 राधा चौहान)
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-सा-1/2021/सा-3-116(1)/दस-2020-933/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
4. समस्त एडवोकेट ऑन रिकार्ड, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव, वित्त।

Scanned with CamScanner